दक्ष®

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित

No. 1

Complete Notes for CET

(10+2) Level

भारत एवं राजस्थान - GK

- राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत
- भारत एवं राजस्थान का भूगोल,
- राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था

(10+2) Level

लिपिक ग्रेड-II (LDC), राजस्थान पुलिस कांस्टेबल,
छात्रावास अधीक्षक, वनपाल, कनिष्ठ सहायक

Buy Online at : WWW.DAKSHBOOKS.COM

M. K. YADAV

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय/विषय का नाम .... पृष्ठ संख्या

Part-'A' राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परम्परा और विरासत 1–156

1 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ : कालीबंगा,आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ इत्यादि
[Ancient Civilizations of Rajasthan: Kalibanga, Ahar, Ganeshwar, Balathal, Bairath etc.] 1

❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 6

2 राजस्थान की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ एवं प्रमुख राजवंश
[Important Historical Events and Major Dynasties of Rajasthan] 8

❖ जनपदकालीन राजस्थान 8
❖ मगध साम्राज्य के अधीन राजस्थान 10
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 11
❖ गुर्जर-प्रतिहार राजवंश 12
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 13
❖ गुहिल-सिसोदिया राजवंश 13
❖ वागड़ के गुहिल 19
❖ प्रतापगढ़ के सिसोदिया 19
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 20
❖ शाहपुरा के सिसोदिया 20
❖ राठौड़ राजवंश 21
❖ मारवाड़ (जोधपुर) के राठौड़ 21
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 23
❖ बीकानेर के राठौड़ 24
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 25
❖ किशनगढ़ के राठौड़ 25
❖ कुशलगढ़ के राठौड़ 25
❖ चौहान-राजवंश 26
❖ अजमेर के चौहान 26
❖ रणथम्भौर के चौहान 27
❖ नाडोल के चौहान 28
❖ जालौर के सोनगरा चौहान 28
❖ सिरोही के देवड़ा चौहान 29
❖ बूँदी के हाड़ा चौहान 29
❖ कोटा के हाड़ा चौहान 30
❖ गागरोनगढ़ के खींची चौहान 30
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 31
❖ कच्छवाह राजवंश 31
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 35
❖ राजस्थान के अन्य प्रमुख राजवंश 35

अध्याय नं.	अध्याय/विषय का नाम	पृष्ठ संख्या
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	38
3	राजस्थान के राजवंशों की प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम [Administrative and Revenue System and Socio-Cultural Dimensions of the Dynasties of Rajasthan]	40
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	45
4	स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ : किले एवं स्मारक [Salient Features of Architecture : Forts and Monuments]	47
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	60
5	राजस्थान की कलाएँ : चित्रकला और हस्तशिल्प [Painting and Handicrafts in Rajasthan]	63
	❖ राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प	69
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	73
6	राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन-राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आन्दोलन [Freedom Movement in Rajasthan - Political Awakening and Prajamandal Movement]	77
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	84
7	राजस्थान का एकीकरण [Integration of Rajasthan]	86
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	91
8	राजस्थानी लोक भाषाएँ (बोलियाँ) [[Regional Dialects of Rajasthan]	94
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	97
9	राजस्थानी साहित्य [Rajasthani Literature]	99
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	109
10	राजस्थान में लोक संगीत एवं लोक नृत्य [Folk Music and Folk Dance in Rajasthan]	111
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (लोक संगीत)	124
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (लोक वाद्य)	124
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (लोक नाट्य)	125
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (लोक नृत्य)	126
11	राजस्थान के लोक संत, कवि, योद्धा, लोकदेवता एवं लोकदेवियाँ [Folk Saints, Poets, Warriors, Lokdevtas and Lokdeviyas of Rajasthan]	127
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (लोक संत)	138
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (राजस्थान के प्रमुख लोक-देवता)	139
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर (राजस्थान की प्रमुख लोक-देवियाँ)	141

अध्याय नं. अध्याय/विषय का नाम .... पृष्ठ संख्या

12 राजस्थान के मेले व त्योंहार
[Fairs and Festivals of Rajasthan] 143
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 150

13 रीति-रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण
[Customs, Dresses & Ornaments] 151
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 155

Part-'B' भारत एवं राजस्थान का भूगोल 157–330

1 भारत के भौतिक स्वरूप-पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान
[Physical Forms of India – Mountains, Plateaus, Deserts and Plains] 157
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 173
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 173

2 भारत की प्रमुख नदियाँ झीलें, बाँध व सागर
[Major Rivers of India Lakes, Dams and Seas] 174
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 181

3 वन्यजीव जन्तु एवं अभ्यारण्य
[Wildlife Sanctuary and Sanctuary] 183
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 189

4 राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप
[Major Physical Forms of Rajasthan] 190
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 205

5 राजस्थान की जलवायु दशाएँ
[Climatic Conditions of Rajasthan] 208
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 214

6 राजस्थान में वनस्पति एवं वन सम्पदा
[Botanical & Forest Wealth in Rajasthan] 217
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 224

7 राजस्थान में मृदाएँ
[Soil Conservation in Rajasthan] 227
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 230

8 राजस्थान की नदियाँ, बाँध एवं झीलें
[Rivers, Dams and Lakes of Rajasthan] 232
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 248

अध्याय नं. अध्याय/विषय का नाम .... पृष्ठ संख्या

9 राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन-खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल संसाधन, पशु सम्पदा
[Natural Resources in Rajasthan - Mineral Wealth, Forest Wealth, Water resources, Animal Wealth] 251
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 269

10 राजस्थान में वन्य जीव, अभयारण्य एवं संरक्षण
[Wildlife, Sanctuaries and Conservation in Rajasthan] 273
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 279

11 राजस्थान में जनसंख्या - वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात
[Population in Rajasthan - Growth, Density, Literacy and Sex Ratio] 280
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 291

12 राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ
[Major Tribes of Rajasthan] 294
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 302

13 राजस्थान के पर्यटन स्थल
[Tourist Places of Rajasthan] 305
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 327

Part-'C' राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 331–436

1 भारतीय संविधान की प्रकृति
[Nature of Indian Constitution] 331
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 335

2 संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)
[Preamble of the Constitution (Preamble)] 337
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 339

3 मौलिक अधिकार
[Fundamental Rights] 340
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 347

4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व
[Directive Principles of State Policy] 349
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 351

5 मौलिक कर्त्तव्य
[Fundamental Duties] 353
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 354

6 राजस्थान का राज्यपाल
[Governor of Rajasthan] 355
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 362

अध्याय नं.	अध्याय/विषय का नाम	पृष्ठ संख्या
7	राजस्थान में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् [Chief Minister and Council of Ministers in Rajasthan]	367
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	371
8	राज्य विधानसभा [State Assembly]	375
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	383
9	राजस्थान का उच्च न्यायालय [High Court of Rajasthan]	387
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	390
10	राजस्थान लोक सेवा आयोग [Rajasthan Public Service Commission]	392
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	395
11	राज्य निर्वाचन आयोग [State Election Commission]	398
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	400
12	राज्य सूचना आयोग [State Information Commission]	401
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	402
13	राज्य मानवाधिकार आयोग [State Human Rights Commission]	403
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	406
14	राज्य का मुख्य सचिव एवं सचिवालय [State Chief Secretary and Secretariat]	408
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	412
15	जिला प्रशासन [District Administration]	414
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	421
16	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज [Local Self Government & Panchayati Raj]	422
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	433
Part-'D'	**राजस्थान की अर्थव्यवस्था**	**437–526**
1	राजस्थान में कृषि-प्रमुख फसलें [Agriculture in Rajasthan - Major Crops]	437
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	450
2	राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ [Major Irrigation Projects of Rajasthan]	455
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	463

अध्याय नं. अध्याय/विषय का नाम .... पृष्ठ संख्या

3 सूखा व अकाल तथा मरूभूमि के विकास से सम्बन्धित परियोजनाएँ
[Projects related to Drought and Famine and Desert Development] 465
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 467

4 राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग
[Agro Based Industries and Handicraft Industries in Rajasthan]
इसका विवरण Part-'D' के अध्याय 10 में दिया गया है।

5 बेरोजगारी
[Unemployment] 468
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 472

6 राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ
[Various Welfare Schemes in Rajasthan] 473
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 494

7 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
[Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act : MGNREGA] 496
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 497

8 राजस्थान में विकास संस्थाएँ, लघुउद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ
[Development Institutions, Small Enterprises and Financial Institutions in Rajasthan] 498
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 503

9 पंचायतीराज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका
[Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development]
इसका विवरण Part-'C' के अध्याय 16 में दिया गया है।

10 राजस्थान का औद्योगिक विकास एवं प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र-कृषि उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, लघु, कुटीर एवं ग्राम उद्योग
[Industrial Development and Major Industries, Industrial Areas of Rajasthan : Agriculture Industry, Handicraft Industry, Small, Cottage and Village Industries] 505
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 515

11 राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत-जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा
[Various sources of energy in Rajasthan : Water, Electricity, Thermal, Nuclear, Wind and Solar energy] 519
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 525

WWW.DAKSHBOOKS.COM

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परम्परा और विरासत

1 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ : कालीबंगा,आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ इत्यादि [Ancient Civilizations of Rajasthan: Kalibanga, Ahar, Ganeshwar, Balathal, Bairath etc.]

राजस्थान की यह मरुभूमि विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की जननी रही है। यहाँ पाषाणयुगीन एवं ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं का उदय हुआ है, जिनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, बागौर आदि प्रमुख हैं। ये सभ्यताएँ न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं अपितु अपनी चित्रकला, मृदभांड शिल्प एवं धातु तकनीकी कौशल के कारण प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के भी संपर्क में थी। नए पाठ्यक्रमानुसार इस अध्याय में चार प्रमुख सभ्यताओं का वर्णन किया गया है।

अध्ययन बिन्दु

- कालीबंगा सभ्यता → हनुमानगढ़
- आहड़ सभ्यता → उदयपुर
- गणेश्वर → सीकर
- बालाथल → उदयपुर
- बैराठ सभ्यता → जयपुर
- राजस्थान की अन्य प्राचीन सभ्यताएँ

कालीबंगा सभ्यता

- ❖ कालीबंगा सैन्धव सभ्यता की **'तीसरी राजधानी'** मानी जाती है। राजस्थान के **हनुमानगढ़** जिले में अवस्थित यह सभ्यता आज से लगभग 6 हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है।
- ❖ प्राचीन सरस्वती एंव दृषद्वती नदियों (वर्तमान घग्घर नदी क्षेत्र) के मध्य पल्लवित यह सभ्यता- पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकाल एवं उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952 ई. में **'अमलानन्द घोष'** द्वारा की गई तथा उत्खनन कार्य 1960-1969 ई. के मध्य **बी.बी. लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे** एवं **के.एम. श्रीवास्तव** द्वारा करवाया गया।
- ❖ कालीबंगा के उत्खनन में हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के पाँच स्तर मिले हैं।
- ❖ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ- **''काले रंग की चूड़ियाँ''** है।
- ❖ कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी इटली के विद्वान **डॉ.एल.पी. टेसीटोरी** द्वारा दी गई।

कालीबंगा का नगर नियोजन

- ❖ कालीबंगा एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का नगर सुव्यवस्थित योजनानुसार बसा हुआ था। यह पश्चिमी और पूर्वी दो टीलों पर बसा हुआ था। कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग-अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे।

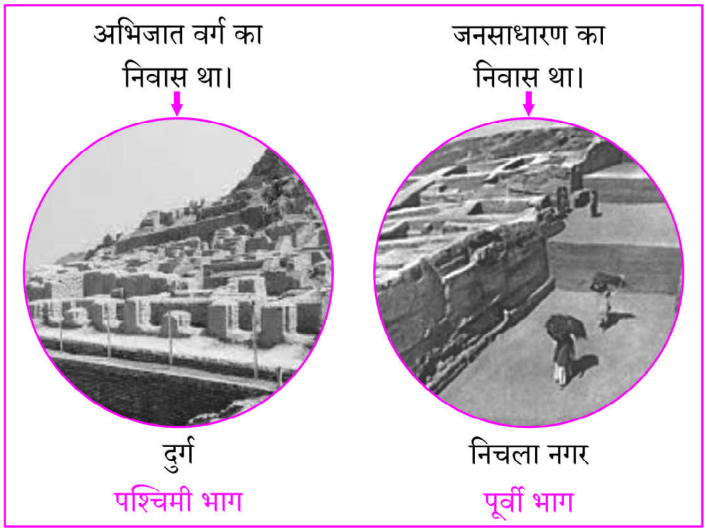

- ❖ कालीबंगा की सड़कें पाँच से साढ़े पाँच मीटर चौड़ी थी एवं समकोण पर कटती थीं। सड़कों के किनारे गलियाँ निकली हुई थी; जिन पर आवासीय भवन बने हुए थे।
- ❖ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के विपरीत कालीबंगा के घर **कच्ची ईंटों** (धूप मे सुखाई हुई) के बने हैं। कमरो एवं फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। लगभग सभी घरों में अपने-अपने कुएँ थे।
- ❖ कालीबंगा से सेलखड़ी की मुहरें एवं मिट्टी की मुहरें मिली हैं। जिन पर हड़प्पाकालीन लिपि के समान अक्षर मिले हैं किन्तु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।

5 राजस्थान की कलाएँ : चित्रकला और हस्तशिल्प [Art of Rajasthan : Painting and Handicrafts]

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएँ
- राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ
- लोक चित्रण की परम्पराएँ
- राजस्थान में हस्तशिल्प

राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ:

मेवाड़ स्कूल
- चावण्ड शैली
- उदयपुर शैली
- नाथद्वारा शैली
- देवगढ़ उपशैली
- सावर उपशैली
- शाहपुरा उपशैली
- बेगूँ, बनेडा, बागौर, केलवा ठिकानों की कला

मारवाड़ स्कूल
- जोधपुर शैली
- बीकानेर शैली
- किशनगढ़ शैली
- अजमेर शैली
- नागौर शैली
- जैसलमेर शैली
- घाणेराव, रियाँ, भिनाय, जूनियाँ आदि ठिकानों की कला।

हाड़ौती स्कूल
- बूँदी शैली
- कोटा शैली
- झालावाड़ उपशैली

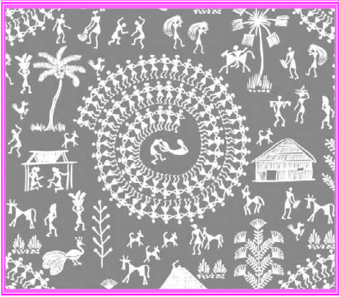

ढूँढाड़ स्कूल
- आमेर शैली
- जयपुर शैली
- शेखावाटी शैली
- अलवर शैली
- उणियारा उपशैली
- झिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला।

राजस्थान चित्रकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के मंदिर, महल, हवेलियाँ आदि भिन्न-भिन्न चित्र शैलियों से सुसज्जित हैं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन **आनन्द कुमार स्वामी** ने 1916 ई. में अपनी पुस्तक **'राजपूत पेंटिंग्स'** में किया था। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम गुजरात की **जैन अपभ्रंश शैली** से माना जाता है। जिसका प्रभाव सर्वप्रथम मेवाड़ पर देखा जाता है। कालांतर में राजस्थानी चित्रकला स्थानीय विशेषताओं, मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली आदि से प्रभावित होती रही।

राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएँ

- लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन आदि महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।
- धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर पोषित-भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण।
- विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर, उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया गया है।
- प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ नारी सौन्दर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक विशेष पहचान देता है।
- राजस्थानी चित्रशैली विभिन्न राजा-महाराजाओं एवं सामन्तों के संरक्षण में फली-फूली है। इसलिए यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जाती है।
- राजस्थानी चित्रकला पर प्रारम्भ में जैन शैली, गुजराज शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था बाद में मुगल शैली के प्रभाव से

12 राजस्थान के मेले व त्योंहार
[Fairs and Festivals of Rajasthan]

सम्पूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान अपनी बहुरंगी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ के मेलें व त्योंहारों, में प्रतिबिम्बित होती है। यहाँ वर्षभर मेलों का आयोजन होता है, जो सामाजिक समरसता, लोककला एवं पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ एक कहावत प्रचलित है- **''सात वार नौ त्योंहार''**, ये पर्व व त्योंहार लोगों के जीवन में खुशी और उमंग के परिचायक हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान के प्रमुख मेले, पशु मेले, उर्स इत्यादि
- पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव/महोत्सव
- राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौंहार एवं पर्व

राजस्थान के प्रमुख मेले

पुष्कर मेला

- अजमेर का पुष्कर हिन्दुओं की आस्था का एक प्रमुख केन्द्र है।
- **कार्तिक माह की पूर्णिमा** को लगने वाला यह मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है।
- यह मेला देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे '**लक्खी मेला**' कहते हैं।
- यहाँ **ब्रह्मा जी का मंदिर**, **सावित्री माता का मंदिर**, पुष्कर सरोवर आदि का धार्मिक महत्त्व है। पुष्कर सरोवर में कार्तिक माह में दीपदान की परम्परा पौराणिक है।
- नागौरी बैल, जैसलमेरी-बीकानेरी ऊँट, घोड़े व अन्य मवेशियों का क्रय-विक्रय भी इस मेले की मुख्य विशेषता है।

जीणमाता मेला

- सीकर जिले के **रैवासा गाँव** में **हर्ष की पहाड़ी** पर जीण माता का मंदिर स्थित है, जिसमें जीणमाता की **अष्टभुजी प्रतिमा** है, जिसके सामने घी और तेल के दो दीपक अखण्ड रूप से कई वर्षों से प्रज्ज्वलित हैं।
- यहाँ वर्ष में दो बार चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं।
- मुख्यतः राजपूत व मीणा जाति के लोग इस देवी की आराधना करते है।

खाटूश्याम जी मेला

- सीकर जिले में शीश के दानी के रूप में विख्यात खाटूश्याम जी के मंदिर में **फाल्गुन माह** के शुक्ल पक्ष की **दशमी से द्वादशी** तक '**लक्खी मेला**' लगता है। यहाँ श्याम बगीचा व कुण्ड दर्शनीय हैं।

भर्तृहरि का मेला

- अलवर से 40 कि.मी. दूर सरिस्का के जंगलों में उज्जैन के राजा भर्तृहरि की तपोस्थली पर वर्ष में दो बार **वैशाख** और **भाद्रपद** में 'लक्खी मेला' लगता है।
- शरीर पर भस्म मले चिमटा व कमण्डल धारी साधुओं और लंबी दाढ़ी व बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह मेला'**लघु कुंभ**' का आभास कराता है।
- **कालबेलिया नृत्य** इस मेले का मुख्य आकर्षण है।

डिग्गी के कल्याण का मेला

- टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याणजी का मेला **श्रावण मास की अमावस्या** को लगता है।
- इस मेले से राजा डिग्व व उर्वशी की कथा जुड़ी हुई है।
- कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन से राजा डिग्व का कुष्ट रोग से कल्याण हुआ, इसलिए उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया।
- इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त बंगाल, बिहार, असम से भी श्रद्धालु आते हैं।

भारत एवं राजस्थान का भूगोल

1 भारत के भौतिक स्वरूप-पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान

[Physical Structure of India - Mountains, Plateaus, Deserts and Plains]

भारत की विशालता एवं विविधता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। देश के लगभग **10.6% क्षेत्र पर पर्वत**, **18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ**, **27.7% पर पठार** तथा **43.2% क्षेत्रफल पर मैदान** विस्तृत हैं। शैलों के स्तर क्रम, विवर्तनिक इतिहास प्रक्रमों एवं उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है। किन्तु भारत के भौतिक स्वरूपों को समझने से पहले हमें इसकी स्थिति, आकार और विस्तार पर चर्चा करनी होगी। अतः इस अध्याय का निम्न अध्ययन बिन्दुओं के अनुसार अध्ययन करेंगे।

अध्ययन बिन्दु

- **भारत की स्थिति आकार और विस्तार**
  - अक्षांश, देशांतर
  - सीमा विस्तार
  - तट रेखा
- **भारत का भौतिक स्वरूप**
  - **उत्तर का पर्वतीय प्रदेश**
    - ट्रांस हिमालय
    - वृहत हिमालय
    - लघु/मध्य हिमालय
    - शिवालिक हिमालय
    - हिमालय का प्रादेशिक विभाजन
  - **उत्तर भारत का विशाल मैदान**
    - भाबर प्रदेश
    - तराई प्रदेश
    - बांगर एवं खादर क्षेत्र
    - उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन
    - थार का मरूस्थल
  - **दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार**
    - मध्यवर्ती उच्च भूमि
    - दक्कन का पठार
    - पश्चिमी घाट
    - पूर्वी घाट
  - **तटीय मैदान एवं द्वीप समूह**
    - पश्चिमी तटीय मैदान
    - पूर्वी तटीय मैदान
    - अंडमान व निकोबार
    - लक्ष्यद्वीप समूह
    - अन्य द्वीप

भारत की स्थिति आकार और विस्तार

❖ भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है, जितना स्वयं मानव। प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण **आर्यावर्त** कहा जाता था। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह **भारतवर्ष** कहलाया। ईरानियों ने सिन्धु नदी को हिन्दू एवं इसके पास स्थित भूमि को **हिन्दुस्तान** कहा है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इण्डस तथा इस देश को **इंडिया** कहा है।

❖ भारत की आकृति **चतुष्कोणीय** है। यह द. एशिया के मध्य में **उत्तरी गोलार्द्ध** में स्थित है।

❖ भारत की मुख्य भूमि भूमध्य रेखा के उत्तर में **8°4' से 37°6'** उत्तरी अक्षांश तथा **68°7' से 97°25'** पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

Note :–

✧ **इंदिरा प्वांइट (ग्रेट निकोबार द्वीप)** भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, जो 6°4' उ. अक्षांश पर स्थित है।

✧ इंदिरा कॉल (लद्दाख) भारत का सबसे उत्तरी बिन्दु है। जो 37°6' उ. अक्षांश पर स्थित है।

❖ भारत का क्षेत्रफल **32,87,263** वर्ग किमी. है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वाँ बड़ा देश है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का **2.4%** है।

Note :– केवल **रूस, कनाड़ा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया** ही क्रमशः भारत से बड़े देश है।

9 राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन-खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल संसाधन, पशु सम्पदा
[Natural Resources in Rajasthan - Mineral Wealth, Forest Wealth, Water resources, Animal Wealth]

राजस्थान की वन सम्पदा एवं जल संसाधन का उल्लेख इसी खण्ड के अध्याय 6 एवं अध्याय 8 के अंतर्गत किया गया है अतः इस अध्याय में खनिज सम्पदा एवं पशु सम्पदा का ही विस्तृत विवेचन किया गया है।

खनिज सम्पदा

राजस्थान की भूगर्भीय संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाये जाते हैं। जिसके कारण राजस्थान को **'खनिजों का अजायबघर'** (Museum of Minerals) कहा जाता है। राज्य में **82** प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से **57 खनिजों** का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अरावली क्षेत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में खनिजों से जुड़े सामान्य तथ्य एवं नवाचार
- राजस्थान में खनिजों के प्रकार वितरण एवं उपयोग
- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (R.S.M.M.L.)

राजस्थान में खनिजों के प्रकार वितरण एवं उपयोग:

धात्विक खनिज
- लौह अयस्क
- मैंगनीज
- सीसा और जस्ता
- ताँबा
- टंगस्टन
- बेरिलियम
- चांदी
- सोना

अधात्विक खनिज
- **उर्वरक खनिज**–जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स
- **आणविक खनिज**–अभ्रक, यूरेनियम
- **रासायनिक खनिज**–नमक, चूनापत्थर, फ्लोराइट, केल्साइट, बेण्टोनाइट
- **बहुमूल्य पत्थर**–पन्ना, तामड़ा, हीरा
- **इमारती पत्थर**–संगमरमर, ग्रेनाइट, बालुका पत्थर (सैण्ड स्टोन), स्लेट आदि।
- **उष्मारोधी खनिज**–एस्बेस्टास, फेल्सपार, सिलिका सैण्ड, डोलोमाइट, चाइनाक्ले, फायर क्ले, मैग्नेसाइट, बोराइट्स आदि।
- **अन्य खनिज**–घीया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी...आदि।

ईंधन खनिज
- पेट्रोलियम
- कोयला
- प्राकृतिक गैस

राजस्थान में खनिजों से जुड़े सामान्य तथ्य एवं नवाचार

❖ राजस्थान का खनिज भण्डार के दृष्टिकोंण से देश में झारखण्ड के बाद दूसरा स्थान है। जबकि खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है।

❖ राजस्थान में **19 प्रधान खनिज** है, जिनके लिए 174 खनन पट्टे जारी किए गए हैं जबकि अप्रधान खनिजों के 15280 खनन पट्टे एवं 17577 खदान लाइसेंस वर्तमान में विद्यमान हैं। वर्तमान में **ई-नीलामी** प्रक्रिया द्वारा खनन पट्टों का आवंटन किया जाता है।

❖ राजस्थान **सीसा एवं जस्ता अयस्क**, **सलेनाईट** और **वॉलेस्टोनाइट** का एकमात्र उत्पादक राज्य है।

❖ देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है।

❖ राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉयर क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरु) स्टेटाइट एवं फेल्सपार का भी प्रमुख उत्पादक हैं।

❖ राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा-संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है।

13 राजस्थान के पर्यटन स्थल [Tourist Places of Rajasthan]

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी-विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र है। आँकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु **पर्यटन विभाग** की स्थापना **1956** में की गई तथा **1989** में **मोहम्मद युनुस समिति** की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, राजस्थान ऐसा करने वाला **देश का प्रथम राज्य** बना।

राजस्थान में शाही रेलगाड़ियाँ, किलें, महल, हवेलियाँ, झीलें, रेत के धोरे, मंदिर, अरावली के प्राकृतिक स्थल, एडवेंचर ट्यूरिज्म आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते है।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में पर्यटन का विकास महत्वपूर्ण संस्थाएँ
- राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव/महोत्सव
- वर्ष 2021-22 में पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ
  - पर्यटन विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं कार्य
  - कोविड प्रबंधन हेतु किए गए निर्णय एवं नवाचार
  - वर्ष 2021 में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार
- राजस्थान में पर्यटन परिपथ
- राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र

राजस्थान में पर्यटन का विकास एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

- ❖ राजस्थान में 1956 में स्थापित '**पर्यटन विभाग**' पर्यटन की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की नोड्ल एजेन्सी है।
- ❖ **पर्यटन निदेशालय-1955** द्वारा पर्यटकों के आवास, परिवहन एवं साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है।
- ❖ राज्य में पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु **1 अप्रैल 1979** को '**राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)**' की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय-**जयपुर** है।
- ❖ RTDC का नया पर्यटन लोगो—"**राजस्थान: भारत का अतुल्य राज्य**"
- ❖ राज्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु मानव संसाधन का विकास करने हेतु 1966 में "**राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिट्टमैन)**" की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय भी **जयपुर** में है।
- ❖ वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राज्य पर्यटन सलाहकार मण्डल**' की स्थापना की गई।
- ❖ वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन**' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना था।
- ❖ राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन **पर्यटक पुलिस स्टेशन** खोले गए है-**जयपुर, उदयपुर** और **जोधपुर**।
- ❖ राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **फ्रांस** से आते है।
- ❖ यदि संख्या के दृष्टिकोण से देखे तो **पुष्कर (अजमेर)** में सर्वाधिक पर्यटक (देशी-विदेशी) आते है। जबकि केवल सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **जयपुर** में आते हैं।

Note :- कैलेण्डर वर्ष 2021 के दौरान **220.24 लाख** पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, जिनमें **219.89** लाख **स्वदेशी** एवं **0.35** लाख **विदेशी** पर्यटक शामिल हैं।

1 भारतीय संविधान की प्रकृति [Nature of Indian Constitution]

❖ भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को दिशानिर्देशित करता है एवं नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों तथा देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। दूसरे देशों के संविधानों से श्रेष्ठ गुणों का समावेश कर संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमता एवं दूरदृष्टि का प्रमाण दिया है। भारतीय संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। अत: भारतीय संविधान की प्रकृति लोक कल्याणकारी है जिसे संपूर्णता में समझने हेतु संविधान के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं संविधान पर पड़े आंतरिक व बाह्य प्रभाव को समझना आवश्यक है

अध्ययन बिन्दु

- संविधान का निर्माण
- संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- संविधान पर आंतरिक व बाहरी प्रभाव

संविधान का निर्माण (Making of the Constitution)

❖ भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों, ब्रिटिश शासन के प्रभाव तथा तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों का योगदान रहा।

❖ भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 ई. में **एम.एन. रॉय** (प्रमुख वामपंथी नेता) द्वारा रखा गया।

❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार **1935** में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की माँग की।

❖ एक 'निर्वाचित संविधान सभा' द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ई. में **'क्रिप्स मिशन'** द्वारा दिया गया।

❖ **कैबिनेट मिशन योजना (1946)** के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठन 'प्रातिनिधिक निर्वाचन' एवं 'आंशिक मनोनयन' के आधार पर हुआ, जो निम्न प्रकार था—
  - ✧ संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या **389** होगी जिसमें से **296** सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होंगे तथा **93 सदस्य** देशी रियासतों से मनोनीत होंगे।
  - ✧ ब्रिटिश भारत से चुने गए 296 सदस्यों में से **292 सदस्य** 11 ब्रिटिश प्रांतों से तथा **4 सदस्य** मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होंगे।
  - ✧ संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया।

❖ संविधान सभा के लिए जुलाई-अगस्त 1946 ई. में चुनाव हुए जिनमें 296 में से—
  - ✧ 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
  - ✧ 73 सीटें मुस्लिम लीग को तथा
  - ✧ 15 सीटें अन्य स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई।

Note :–
(1) संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था क्योंकि 1935 के अधिनियम के अनुसार **कर, शिक्षा व संपत्ति** ही मताधिकार का आधार थी अत: मात्र 28.5% नागरिकों को ही मत का अधिकार दिया गया।
(2) प्रारंभ में देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया किन्तु संविधान सभा के III अधिवेशन (28 अप्रैल, 1947) से क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हो गयी।

❖ संविधान सभा की पहली बैठक **9 दिसम्बर, 1946** को हुई, इसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** को **अस्थाई अध्यक्ष** चुना गया।

❖ 11 दिसम्बर, 1946 को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** संविधान सभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुने गए तथा **डॉ. एच.सी. मुखर्जी** को **उपाध्यक्ष** तथा **'सर बी.एन. राव'** को **संवैधानिक सलाहकार** के रूप में चुना गया।

❖ वी.टी. कृष्णामचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए थे।

उद्देश्य प्रस्ताव

❖ संविधान निर्माण की शुरुआत **13 दिसम्बर, 1946** को पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई जिसमें भावी संविधान के ढाँचे और दर्शन की रूपरेखा थी।

6 राजस्थान का राज्यपाल
[Governor of Rajasthan]

संविधान के **भाग–6** के अन्तर्गत **अनुच्छेद 152 से 234** तक राज्य सरकार एवं उसकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। **अनुच्छेद 153** के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो उसकी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। **7वाँ संविधान संशोधन** (1956) के बाद कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है।

राज्यपाल केन्द्र व राज्य के बीच ऐसी कड़ी है। जिससे एक ओर राज्य के स्थानीय विकास व आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भूमिका अपेक्षित है वहीं दूसरी और यह भी आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखेगा। अतः राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।

अध्ययन बिन्दु

- राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हताएँ, शपथ, वेतन–भत्ते एवं विशेषाधिकार
- राज्यपाल की शक्तियाँ कार्य एवं भूमिका
  - कार्यपालिका शक्तियाँ
  - विधायी शक्तियाँ
    - अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ
  - वित्तीय शक्तियाँ
  - न्यायिक शक्तियाँ
  - विवेकाधीन शक्तियाँ
    - वीटो पॉवर
  - आपातकालीन शक्तियाँ
- राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा एवं सुधार हेतु सुझाव
- राजस्थान के राज्यपाल एवं कार्यकाल

राज्यपाल की नियुक्ति/अर्हताएँ

❖ **अनुच्छेद–155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल दोहरी भूमिका में कार्य करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के साथ–साथ संघ का एजेन्ट भी होता है।

❖ अनुच्छेद–157 व 158 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं एवं शर्तों का होना आवश्यक है–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
4. राज्यपाल नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।

शपथ

❖ **अनुच्छेद–159** के अनुसार राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।

❖ राज्यपाल के द्वारा संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ ली जाती है साथ ही वह लोगों की भलाई एवं सेवा की शपथ लेता है।

कार्यकाल

❖ **अनुच्छेद–156** में राज्यपाल के कार्यकाल के उपबंध दिए गए है, जिसमें तीन बातें मुख्य हैं—

(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। ध्यातव्य है कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है।

11 राज्य निर्वाचन आयोग [State Election Commission]

- 73 वें एवं 74 वं संविधान संशोधनों की अनुपालना में स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यों हेतु **'एकल सदस्यीय'** राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। संविधान के **अनुच्छेद 243 (K) से लेकर 243 (ZA)** के अनुसार राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य की **पंचायती राज संस्थाओं** एवं **शहरी निकायों** के सभी निर्वाचनों के लिए नामावली की तैयारी, अधीक्षण निर्देशन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।
- राजस्थान में राज्यपाल ने 17 जून, 1994 को आदेश जारी कर अमरसिंह राठौड़ को राज्य का प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जिन्होंने 1 जुलाई 1994 को अपना पदभार संभाला तथा पदभार ग्रहण करने से लेकर 1 जुलाई, 2000 तक आयोग के संपूर्ण कार्यों का सुचारु रूप से निर्वहन किया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त

- **योग्यता**—प्रधान सचिव के समकक्ष लोकसेवक को नियुक्त किया जाता है।

> **Note :–** राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन किसी उप-निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयुक्त के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा अतः निर्वाचन आयुक्त के सचिव पद पर भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

- **नियुक्ति**—राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर।
- **सेवा शर्तें**—राज्यपाल द्वारा ''राजस्थान सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग सेवा शर्तें अधिनियम-1994'' के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
- **कार्यकाल**—5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- **हटाने का अधिकार**—राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात् हटाया जा सकता है।
- **वेतन भत्ते**—राज्य की संचित निधि पर भारित।
- **वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त**—मधुकर गुप्ता

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं आरक्षण संबंधी कार्य करना।
- मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना।
- चुनाव चिह्नों का आवंटन करना एवं चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी विवादों का निपटारा करना।
- निर्वाचन आयुक्त चुनाव सूची का पुनः नवीनीकरण तैयार नहीं होने पर चुनाव स्थगित कर सकता है, साथ ही असाधारण परिस्थितियों में पुर्नमतदान के आदेश के सकता है।
- चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना।
- पंचायतीराज व नगरीय निकायों के शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाना।
- मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हिंसा आदि शिकायतों के सही पाये जाने पर चुनाव स्थगित करा सकता है। उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- सभी चुनावों के अधीक्षण एवं निरीक्षण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- कार्यों को अच्छी प्रकार से करवाने के लिए राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आग्रह करना।
- चुनाव संबंधी शिकायतों से संतुष्ट होकर चुनाव स्थगित करना।
- मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करना।
- दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर राष्ट्रीय प्रसारणों के समय चुनाव प्रचार हेतु राजनीतिक दलों को समय एवं दिन का आवंटन करना।

राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त (एक नज़र में)

क्र.सं.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल
1.	अमर सिंह राठौड़	1 जुलाई, 1994 से 1 जुलाई, 2000 तक
2.	एन.आर. भसीन	2 जुलाई, 2000 से 2 जुलाई, 2002 तक
3.	इन्द्रजीत खन्ना	26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007
4.	अशोक कुमार पाण्डे	1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013
5.	राम लुभाया	1 अक्टूबर, 2013 से 2 अप्रैल, 2017
6.	प्रेमसिंह मेहरा	3 जुलाई, 2017 से 3 जुलाई, 2022
7.	**मधुकर गुप्ता**	**14 अगस्त, 2022 से निरन्तर**

16 स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज [Local Self Government & Panchayati Raj]

भारत की शासन व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायती राज गाँधी के सर्वोदय के आदेश का व्यावहारिक रूप है। स्थानीय स्वशासन की पद्धति यद्यपि ब्रिटिश काल से ही प्रचलित हो चुकी थी लेकिन आजादी के बाद **73वें** और **74वें संविधान संशोधन** द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में आधारभूत लोकतन्त्र का विकास हुआ।

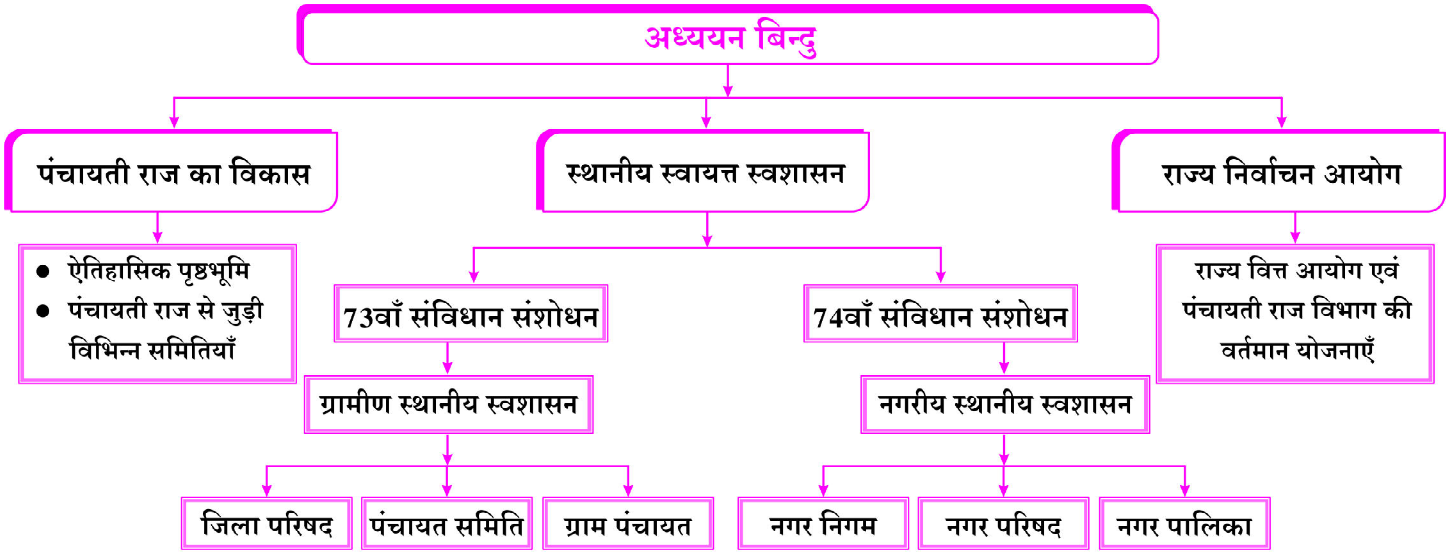

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

❖ भारत में प्राचीनकाल से ही स्थानीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगस्थनीज की इंडिका में विभिन्न समितियों के माध्यम से मौर्यकाल में नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है।

❖ वर्ष 1870 में **लॉर्ड मेयों** ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी।

❖ 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया। रिपन के इस प्रस्ताव को **'स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्नाकार्टा'** कहा जाता है। रिपन 'स्थानीय शासन को 'राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की शिक्षा का साधन' मानते थे।

❖ **लॉर्ड रिपन** के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई अतः रिपन को भारत में **स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक** माना जाता है।

❖ संविधान सभा में प्रसिद्ध गाँधीवादी **'श्रीमन् नारायण अग्रवाल'** ने पंचायती राजव्यवस्था का समर्थन किया अतः पंचायती राज को संविधान के **भाग-4** में नीति-निर्देशक तत्त्वों में **अनु. 40** के अन्तर्गत शामिल किया गया।

❖ स्वतन्त्र भारत में **जे.सी. कुमारप्पा** ने गाँधीवादी आदर्शों के आधार पर **गाँधीवादी अर्थव्यवस्था** का समर्थन किया।

❖ स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्थाओं के विकास के क्रम में वर्ष **1952** में **'सामुदायिक विकास कार्यक्रम'** एवं वर्ष **1953** में **'राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम'** लागू किया गया। (ये कार्यक्रम Ford Foundation की मदद से लागू किए गए)।

❖ उक्त कार्यक्रमों द्वारा अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण इनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने हेतु **जनवरी 1957** में **बलवंत राय मेहता समिति** का गठन किया गया।

❖ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के द्वारा देश में पहली बार **2 अक्टूबर, 1959** को राजस्थान के नागौर जिले के **बगदरी गाँव** से पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत हुई।

❖ पंचायती राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से लागू करने हेतु भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न समितियों

1 राजस्थान में कृषि-प्रमुख फसलें [Agriculture in Rajasthan - Major Crops]

राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़े आँकड़े एवं योजनाएँ नवीनतम आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021-22 के अनुसार अपडेट किए गए हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में कृषि फसलों के प्रकार, वितरण एवं उत्पादन
  - खाद्यान्न फसलें
  - तिलहन/दलहनी फसलें
  - व्यापारिक फसलें
  - बागवानी फसलें
  - मौसम के आधार पर कृषि उपजों का वर्गीकरण
- राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश
- राज्य में कृषि के विविध प्रकार एवं कृषि विकास
- नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि परिदृश्य
  - राज्य के GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान
  - राजस्थान में भू-उपयोग
  - वर्तमान में कृषि उत्पादन की स्थिति
  - प्रचलित जोत धारक
  - मानसून की स्थिति
  - महत्वपूर्ण योजनाएँ

राजस्थान में कृषि फसलों का वितरण एवं उत्पादन

❖ राजस्थान में जलवायु की अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता होने के कारण यहाँ उत्पादित होने वाली कृषि उपजों में अत्यधिक विविधता है। राजस्थान में उत्पादित कृषि उपजों को मोटेतौर पर निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- खाद्यान्न फसलें
- तिलहन एवं दलहनी फसलें
- व्यापारिक फसलें
- बागवानी फसलें

राज्य में खाद्यान्न फसलें

(1) गेहूँ

❖ गेहूँ उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वाँ राज्य है। राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग पर गेहूँ बोया जाता है।

❖ गेहूँ हेतु सामान्यतः 50-100 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। राज्य में नहरी सिंचित क्षेत्रों एवं जहाँ नलकूपों से सिंचाई होती है। वहाँ प्रमुखतया गेहूँ उत्पादित किया जाता है।

❖ राज्य में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन **गंगानगर** में होता है। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, हाड़ौती क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले हैं।

❖ **प्रमुख किस्में**—कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, दुर्गापुरा-65, खार्चिया-65, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, राजस्थान 821, 1114, 376, 911, कोहिनूर, चम्बल-65, शरबती, मैक्सियन, राजस्थान 3070 एवं W.H.-1147 आदि।

❖ वर्ष 1984-85 में राज्य में गेहूँ उत्पादन जहाँ 27.92 लाख टन था वहीं 2018-19 में यह बढ़कर 119.62 लाख टन हो गया है, जो कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है।

3 सूखा व अकाल तथा मरूभूमि के विकास से सम्बन्धित परियोजनाएँ [Projects related to Drought and Famine and Desert Development]

- राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन सूखा व अकाल की बारम्बारता, अल्प वर्षा तथा रेगिस्तानी शुष्क दशाओं के कारण राज्य का बड़ा क्षेत्र बंजर भूमि के अंतर्गत आता है।
- राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि **जैसलमेर** में तथा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि **राजसमंद** जिले में है।
- राजस्थान भूमि उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राज्य में **37.17 लाख हैक्टेयर** क्षेत्र बंजर भूमि है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.84% है। (स्रोत–आर्थिक समीक्षा 2021-22)
- सूखा राजस्थान में एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या एवं प्राकृतिक आपदा है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर रहने पर यह अकाल का रूप ले लेता है। राजस्थान में अकाल के अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है–

राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल

नाम	विशेष विवरण
छप्पनियाँ अकाल	वि.सं. 1956 में (सन् 1899 में) पड़ा अकाल
पंचकाल	राज्य में 1812-13 में पड़ा अकाल
सहसा–अकाल	सन् 1842-43 (वि.सं. 1899-1900) में पड़ा अकाल
चालीसा अकाल	राज्य में 1983 में पड़ा अकाल
मेक्रो–ड्रॉउट अकाल	वर्ष 2002-03 में पड़ा अकाल, जिसे वृहत अकाल भी कहते हैं।
त्रिकाल	1987-88 एवं 2002-03 में पड़ा अकाल। (त्रिकाल में अन्न, जल व चारे का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है।)

Note :– राजस्थान के निर्माण के पश्चात् केवल वर्ष 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1990-91 व 1994-95 को छोड़कर अन्य वर्षों में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

- राजस्थान में **'बंजर भूमि विकास विभाग'** की स्थापना 1982 में की गई।
- 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा बंजर भूमि की समस्या हेतु **बंजर भूमि विकास निगम** की स्थापना की गई।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)

- 1989-90 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में शुरू हुआ।
- इसका उद्देश्य व्यर्थ भूमि का विकास, वनों की कटाई पर रोक तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।
- यह कार्यक्रम **1992-93** से राजस्थान के **10 जिलों** (जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, पाली) में संचालित है।

पहल योजना

- यह डूँगरपुर जिले में सीडा (स्वीडन) के सहयोग से 1991 में प्रारम्भ की गई। इसे **'डूँगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना'** भी कहते हैं।

मरूस्थलीय क्षेत्र में विकास हेतु **1966** में **'मरू विकास बोर्ड'** की स्थापना हुई।

मरू विकास कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा **1977-78** में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरूस्थल के विस्तार को रोकना था।
- **अप्रैल 1999** से इसमें केन्द्र–राज्य अनुपात 75:25 हो गया था। (शुरूआत में पूर्णतः केन्द्र द्वारा वित्तपोषित)
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के **16 जिलों** के **85 खण्ड** शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

- **1974-75** में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में केन्द्र–राज्य की भागीदारी 50:50 सुनिश्चित की गई थी।
- यह कार्यक्रम राज्य के **11 जिलों** के **32 खण्डों** में संचालित था। (करौली, उदयपुर, बाँसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूँगरपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बारां, अजमेर)।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।

अटल भूजल योजना (अभय)

- विश्व बैंक द्वारा पोषित इस योजना का पूर्व नाम 'नेशनल ग्राउण्ड वॉटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट योजना' था। इसका शुभारम्भ **1 अप्रैल, 2020** को किया गया। यह योजना **विश्व बैंक** की सहायता से चलायी जा रही है। यह योजना पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू

7 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
[Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act : MGNREGA]

- ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए तथा समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर, 2005 में संसद द्वारा **नरेगा (National Rural Employment Guarantee Act)** का प्रस्ताव पारित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम है।
- **2 अक्टूबर 2009** से इसे 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के नाम से जाना जाता है।
- बाद में भारत सरकार द्वारा **31 दिसम्बर, 2009** को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम **'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम'** कर दिया।
- इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

प्रारम्भ

- यह अधिनियम तीन चरणों में लागू हुआ।
- **प्रथम चरण—2 फरवरी, 2006** को भारत में मनरेगा की शुरुआत आंध्रप्रदेश के **अनन्तपुर** जिले के वल्लापल्ली गाँव से हुई। पहले चरण में इस योजना को देश के चुनिंदा **200** जिलों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान के **6** जिले शामिल थे-उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही।

> **Note :–** ध्यातव्य है कि राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत **उदयपुर** जिले की **झाड़ौल तहसील** के **देवगाँव** से हुई थी।

- **द्वितीय चरण**—1 अप्रैल 2007 से यह अधिनियम देश के 130 जिलों तक और विस्तारित किया गया, जिसमें राजस्थान के भी 6 जिले और शामिल हुए (बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर)।
- **तृतीय चरण**—1 अप्रैल 2008 से यह अधिनियम भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

विशेषताएँ

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं।
- लाभान्वितों में **कम से कम एक तिहाई महिलाएँ** होंगी।
- परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के **15 दिवस** में फोटोयुक्त जॉबकार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं।
- रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाएगी।
- आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- गाँव से 5 किमी. की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। 5 किमी. से अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होती है।
- किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सभा, कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है।
- किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है।
- ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक अंकेक्षण।**
- सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघरों के माध्यम से।
- **ग्राम सभा** को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के **पर्यवेक्षण** हेतु सशक्त किया गया है।
- प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली।
- मनरेगा के अकुशल श्रमिकों की कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए श्रमिकों को उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं हाथ धोने के लिए कार्यस्थल पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था करने तथा नियमानुसार कार्य उपलब्ध करवाकर प्रत्येक श्रमिक को जॉब कार्ड जारी करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹7,965.05 करोड़ व्यय किया गया तथा 2,962.73 लाख मानव

11 राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत-जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा

[Various sources of energy in Rajasthan : Water, Electricity, Thermal, Nuclear, Wind and Solar energy]

सम्पूर्ण अध्याय आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अपडेट है।

ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा एक अनिवार्य और आधारभूत संसाधन है। राजस्थान में ऊर्जा के परम्परागत एवं गैर-परम्परागत दोनों ही प्रकार के स्रोत उपलब्ध है। अतः इस क्षेत्र में हुई प्रगति को संपूर्णता में समझने की आवश्यकता है।

अध्ययन बिन्दु

- **राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास एवं वर्तमान नवाचार**
- **परम्परागत ऊर्जा संसाधन**
  - कोयला
  - पेट्रोलियम
  - प्राकृतिक गैस
  - परमाणु ऊर्जा
  - जल विद्युत्
- **गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन**
  - पवन ऊर्जा
  - सौर ऊर्जा
  - बायो गैस
  - बॉयोमास ऊर्जा
- **ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ**
  - मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
  - ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम
  - उदय योजना
  - P.M. कुसुम योजना

राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का विकास एवं वर्तमान नवाचार

❖ स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में केवल 42 गाँव विद्युतीकृत थे एवं कुल स्थापित विद्युत क्षमता मात्र **13.27 मेगावाट** थी।

❖ **1 जुलाई 1957** को **'राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड'** (RSEB) के गठन के साथ राज्य में बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। यह राज्य में बिजली उत्पादन, हस्तांतरण एवं वितरण की मुख्य एजेंसी थी। लेकिन **19 जुलाई 2000** को ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और वितरण कार्यों को अलग करने के लिए RSEB को निम्नलिखित 5 अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया।

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर।
(2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
(4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
(5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।

Note :– अंतिम तीनों कंपनियाँ क्रमशः 12, 11 एवं 10 जिलों में विद्युत वितरण करती हैं।

❖ **राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण (RERA)**—की स्थापना **2 जनवरी 2000** में हुई, इसका मुख्यालय **जयपुर** में है। RERA का मुख्य कार्य-राज्य में विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, विद्युत की दर तय करना एवं विद्युत कंपनियों का नियमन और नियंत्रण करना है।

❖ राज्य सरकार द्वारा रतनजोत, करंज, जेड्रोफा आदि तेलीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु **वर्ष 2007** में **राजस्थान बायोफ्यूल नीति** घोषित कर अलग से बायोफ्यूल **प्राधिकरण** का गठन किया गया।

❖ ऊर्जा क्षेत्र में बायोडीजल को बढ़ावा देने हेतु **'राजस्थान बायोडीजल नियम 2019'** बनाया गया, जिसके अन्तर्गत अब तक 11 बायोडीजल उत्पादक एवं 88 मोबाईल रिटेल आउटलेट्स का पंजीकरण किया जा चुका है।

❖ राजस्थान में दिसम्बर, 2021 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर **23321.40 मेगावाट** हो गई है।

❖ राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिसम्बर, 2021 तक राज्य सरकार द्वारा **43,201** गाँवों एवं **1.14 लाख** ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

लेखक परिचय

M. K. YADAV
(RES)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित CET परीक्षा में राजस्थान G.K. अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। श्री महेन्द्र कुमार यादव को इस क्षेत्र में अध्ययन-अध्यापन का विशद् अनुभव है। आप वर्तमान में शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आपकी लेखन कार्य में गहन रुचि है। आपके द्वारा ग्रेड I, II एवं REET Mains के लिए भी सामान्य ज्ञान (G.K.) की पुस्तकें लिखी गई हैं जिन्होने प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिए हैं जिससे हजारों अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

POOJA YADAV

आपका जन्म अलवर जिले की बहरोड़ तहसील में हुआ है। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक एवं परास्नातक किया है। लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल आपके मुख्य विषय है। आपकी लेखन कार्य में विशेष रुचि है। श्री एम.के. यादव द्वारा निर्देशित दक्ष प्रकाशन की सभी पुस्तकों का संपादन आपके द्वारा ही किया गया है।

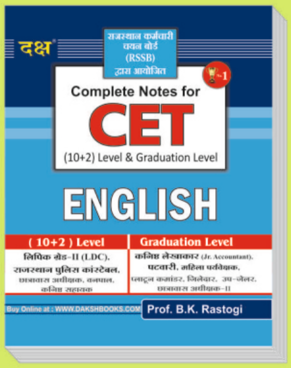

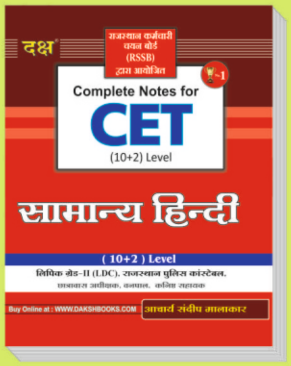

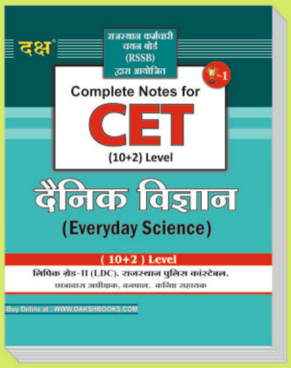

Scan to Download

Download Free Digital Copy

Current Affairs (समसामयिकी)

"वार्षिकांक" 1 Oct. 2021 से 30 Sep. 2022

Oct. 2022 की मासिक (Monthly) समसामयिकी की Free Digital Copy भी प्राप्त कर सकते हैं।

दक्ष प्रकाशन

(A Unit of College Book Centre)

A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)

फोन नं. 0141-2604302

Code No. D-656 | ₹ 880/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु

WWW.DAKSHBOOKS.COM

पर ORDER करें

★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★